



2026: AHC: 24910

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - **4461** वर्ष **2026**

लालजी एवं अन्ययाचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: गिरजा शंकर मिश्रा, मो. गौस अली, प्रतीक्षा राय

प्रतिवादी के अधिवक्ता: भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विपक्षी पार्टी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि विपक्षी पार्टी इस आदेश से व्यथित महसूस करती है, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत प्रतिवादी संख्या 2/उप-जिलाधिकारी (एस.डी.एम.), तहसील-जखनिया, जिला गाजियाबाद को निर्देश देना है कि वह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के तहत वाद संख्या 5982 वर्ष 2025, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202514290505982 को निर्धारित अवधि के भीतर तय करें।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के आवेदनों को समयबद्ध अवधि के भीतर तय किया जाना चाहिए। धारा 24 की उप-धारा (3) इस प्रकार है: -
"(7). इस धारा के तहत प्रत्येक कार्यवाही, जहां तक संभव हो, आवेदन की तिथि से तीन महीने के भीतर उप-विभागीय अधिकारी (एस.डी.ओ.) द्वारा संपन्न की जाएगी।"
5. आगे यह तर्क दिया गया है कि हालांकि उपरोक्त अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान रिट याचिका को अंततः इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2 उपरोक्त मामले को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार तय करें, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, जे.)

4 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"